## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 42/2021

अनवान : –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी घरू हाल निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– सायल

**बनाम्**

1. मीरादेवी पत्नी नंदराम जाति जाट निवासी घरू हाल निवासी बालासर तहसील नोहर
2. घौलुराम पुत्र नदंराम जाति जाट निवासी घरू हाल निवासी बालासर तहसील नोहर
3. जोधाराम पुत्र नदंराम जाति जाट निवासी घरू हाल निवासी बालासर तहसील नोहर
4. गोपीराम पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी घरू हाल निवासी बालासर तहसील नोहर
5. लिलाधर पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी घरू हाल निवासी बालासर तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र गोदारा **गैरसायल**

**निर्णय** दिनांकः 03/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 100/42 के खसरा न0. 76/1 की 13. 468हैक्ट भूमि जिसके सायल गैरसायल के साथ सहखातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि में सायल का 1/6 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 ता 5 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है चुकि वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर है गैरसायलान सायल से सीव लगान व कब्जा काश्त बाबत झगडा रहता है इसलिये वाद भूमि का खाता अलग अलग करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि मुश्तरका खाता की है गैरसायल संख्या 1 जो 85 वर्ष की वृद्व महिला है जो सायल एव गैरसायल संख्या 2 ता 5 की माता है तथा गैरसायल संख्या 1 के उक्त भूमि सायल को पिता ने अपनी अर्जित आय से खरीद कर नाम करवाई है गैरसायल न0 1 के हिस्से की भूमि को अन्यत्र बेय करने पर उतारू है तथा अजनबी केता को विशेष हिस्से की भूमि का बेचान कर अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज करवाने [illegible] है गैरसायल संख्या 1 की भूमि को गैरसायल संख्या 2 ता 5 रहन बेय रख कर [illegible] करना चाहते है गैरसायल संख्या 1 की कमजोरी का फायदा उठा कर गैरसायल संख्या 1 [illegible] भूमि को रहन बैय [illegible] पर उतारू है जिससे सायल के हकों का हनन होता है इसलिये सायल गैरसायल के विरूद्व इस आश्य की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि सायल के कब्जा काश्त की भूमि में मदाख्लत बैजा ना करे

सायल ने अपने हक हिस्सा की भूमि को मेहनत व लाखों रूपये खर्च कर उपजाउ बनाया गया है गैरसायल संख्या 2 ता 5 सायल को अच्छी किस्म की भूमि जो सायल ने अपनी मेहनत से बनाई है से बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है जिससे सायल के हकों का हनन होता है इसलिये सायल गेरसायल का पाबन्द करवाने का अधिकारी की सायल के कब्जा काश्त की भूमि में मदाख्लत बेजा नही करे मौका की यथास्थिति बनाये रखे ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 100/42 के खसरा न0 76/1 की कुल 13.468हैक्‍ भूमि में गैरसायलान न0 1 के हक हिस्सा को किसी अजनबी को बेय करने से निषेद्व रहे एव सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल ना करे सीव डोल को मिस्मार नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 3 ता 5 उपस्थित नही आये तथा गैरसायल संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये गैरसायल संख्या 2 ने कोई जबाब पेश नही किया गैरसायल संख्या 1 ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया कि रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार बार जमाबन्दी की प्रति अलग अलग विभागों में पेश करनी होती है जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा का नोट लगे होने के कारण गेरसायल संख्या 1 को सरकारी योजनाओं का लाभ जा कि कृषि भूमि से जुडे हुए है प्राप्त नही हो पा रहे है जिससे गैरसायल संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये सायलान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा काबिले खारिज है

गैरसायला अपने हक हिस्से के अनुसार भूमि काश्त करती आ रही है अपने कब्जा काश्त की भूमि को मेहनत से उपजाउ बनाया गया है तथा गैरसायल सख्या 1 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है यदि सह खातेदार किसी अन्य सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करता है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायला को होती है रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 1 का जबाब शामिल मिसल किया मुख्य विवाद सायल एवं गैरसायल संख्या 1 के मध्य होने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 100/42 के खसरा न0. 76/1 की 13.468हैक्‍ भूमि जिसके सायल गैरसायल के साथ सहखातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:58 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि में सायल का 1/6 हिस्सा गैरसायलान संख्या 1 ता 5 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है चुकि वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायलान सायल से सीव लगान व कब्जा काश्त बाबत झगडा रहता है इसलिये वाद भूमि का खाता अलग अलग करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि मुश्तरका खाता की है गैरसायल संख्या 1 जो 85 वर्ष की वृद्व महिला है जो सायल एव गैरसायल संख्या 2 ता 5 की माता है तथा गैरसायल संख्या 1 के उक्त भूमि सायल को पिता ने अपनी अर्जित आय से खरीद कर नाम करवाई है गैरसायल न0 1 के हिस्से की भूमि को अन्यत्र बेय करने पर उतारू है तथा अजनबी क्रेता को विशेष हिस्से की भूमि का बेचान कर अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज करवाने पर आमादा है गैरसायल संख्या 1 की भूमि को गैरसायल संख्या 2 ता 5 रहन बैय रख कर हडप करना चाहते है गैरसायल संख्या 1 की कमजोरी का फायदा उठा कर गैरसायल संख्या 1 की भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है जिससे सायल के हकों का हनन होता है इसलिये सायल गैरसायल के विरूद्व इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि सायल के कब्जा काश्त की भूमि में मदाख्लत बैजा ना करे

गैरसायला संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 3 ता 5 उपस्थित नही आये तथा गैरसायल संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये गैरसायल संख्या 2 ने कोई जबाब पेश नही किया गैरसायल संख्या 1 ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया कि रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार बार जमाबन्दी की प्रति अलग अलग विभागों में पेश करनी होती है जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा का नोट लगे होने के कारण गेरसायल संख्या 1 को सरकारी योजनाओं का लाभ जा कि कृषि भूमि से जुडे हुए है प्राप्त नही हो पा रहे है जिससे गैरसायल संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये सायलान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा काबिले खारिज है

गैरसायला अपने हक हिस्से के अनुसार भूमि काश्त करती आ रही है अपने कब्जा काश्त की भूमि को मेहनत से उपजाउ बनाया गया है तथा गैरसायल सख्या 1 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है यदि सह खातेदार किसी अन्य सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करता है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायला को होती है रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता [illegible] की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन किस प्रकार से [illegible] मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2[illegible] के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि सहखातेदारी में दर्ज है जिसे सायल एवं गैरसायल संख्या 1 दोनो ने स्वीकार किया गया है सायल एव गैरसयलान दोनो सहकाश्तकार खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण उभपक्षों के पक्ष में पया जाता है।

सायल का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 अपनी भूमि अजनबी क्रेता को बेचान कर देने से अच्छी किस्म की भूमि पर क्रेता कब्जा कर लेगा सायल का यह कथन स्वीकार योग्य नही है मुश्तरका खाते की भूमि में किसी विशेष हिस्से का बेचान नही होता है सह खातेदार अपने हिस्से का ही बेचान कर सकता है तथा सायल का कथन है कि गैरसायलान उसकी भूमि की सीव डोल को मिस्समार कर रहे है सायल ने अपने कथनो की ताईद में कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया है तथा सहखातेदार काश्तकार का मुश्तरका भूमि में प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा होता है अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल साबित नही कर पाने के कारण सायल के विरूद्व तय किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति से पाबन्द करने का निवेदन किया गया है सायल एव गैरसायलान दोनो सहखातेदार रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है एक सहखातेदार दुसरे सहखातेदार को पाबन्द करवाने से दुसरे खातेदारो के हको का हनन होता है तथा रिकाडेर्ड सह खातेदार अन्य सहखातेदारों को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है इसप्रकार सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में नही पाया जाता है।

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट के तीनों मुलभूमि सिद्वान्त सायल के पक्ष में नही पाये जाने के कारण एव वाद भूमि सहखातेदरी में दर्ज होने के कारण एक सहखातेदार अन्य सहखातेदारों को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है अर्थात सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप सायल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा दिनांक 15.03.2021 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 03/06/24 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:58 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर